

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ।

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ0प्र0 सरकार की वितरण अनुज्ञापिधारियों यथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा मा0 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त अनुज्ञापिधारियों द्वारा वर्ष 2019-20 का ट्रू-अप, वर्ष 2020-21 का ए0पी0आर0 एवं वर्ष 2021-22 का सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव मा0 आयोग के समक्ष दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। मा0 आयोग द्वारा उक्त याचिकायें आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा स्वीकार कर ली गयी।

मा0 आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 का ट्रू-अप, वर्ष 2020-21 का ए0पी0आर0 एवं वर्ष 2021-22 का सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव पर दिनांक 29.07.2021 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

मा0 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित टैरिफ निम्नवत सूचित किये जाते हैं :-

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि0व0 (2021-22)
एल0एम0वी0-1	घरेलू बत्ती, पंखा	
	क-ग्रामीण आपूर्ति	
	(1)लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु0 3.00 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन	
	सभी भार	रु0 500 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	(3) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 90 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 3.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 3.85 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 5.00 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 5.50 प्रति यूनिट
	500 यूनिट/माह से अधिक	रु0 6.00 प्रति यूनिट
	ख-सिंगल प्वाइट ब्ल्क लोड	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.00 प्रति यूनिट
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन	
	(1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु0 3.00 प्रति यूनिट

	(2) अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 5.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.00 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक	रु0 6.50 प्रति यूनिट
	500 यूनिट/प्रति माह से अधिक	रु0 7.00 प्रति यूनिट
एल0एम0वी0–2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा	
	क—ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 1000 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 5.50 प्रति यूनिट
	ख—निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स	
	मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	—
	इनर्जी चार्ज	रु0 18.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 1800 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	ग—अन्य मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	
	2 कि0वा0 तक	रु0 330 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	2 से 4 कि0वा0 तक	रु0 390 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	4 कि0वा0 से अधिक	रु0 450 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 300 यूनिट/माह	रु0 7.50 प्रति यूनिट
	301 से 1000 यूनिट/माह	रु0 8.40 प्रति यूनिट
	1000 यूनिट/माह से अधिक	रु0 8.75 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 600/कि0वा0/माह (अप्रैल से सितम्बर) रु0 475/कि0वा0/माह (अक्टूबर से मार्च)
एल0एम0वी0–3	सार्वजनिक प्रकाश	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	ग्राम पंचायत	रु0 2100 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रु0 3200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	नगर निगम	रु0 4200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	
	ग्राम पंचायत	रु0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रु0 250 प्रति कि0वा0 प्रति माह

	नगर निगम	रु0 250 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	ग्राम पंचायत	रु0 7.50 प्रति यूनिट
	नगर पालिका / नगर पंचायत	रु0 8.00 प्रति यूनिट
	नगर निगम	रु0 8.50 प्रति यूनिट
	टार्फ ऑफ द डे (%) इनर्जी चार्ज)	
	18:00 से 06:00 बजे तक	0%
	06:00 से 18:00 बजे तक	(+)20%
एल0एम0वी0-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ	
	अ—सार्वजनिक संस्थाएँ	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 300 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रु0 8.25 प्रति यूनिट
	1001–2000 यूनिट प्रति माह	रु0 8.50 प्रति यूनिट
	2000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रु0 8.75 प्रति यूनिट
	ब—निजी संस्थाएँ	
	फिक्स्ड चार्ज	
	3 कि0वा0 तक	रु0 350 प्रति कि0वा0प्रति माह
	3 कि0वा0 से अधिक	रु0 400 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रु0 9.00 प्रति यूनिट
	1000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रु0 9.30 प्रति यूनिट
एल0एम0वी0-5	निजी नलकूप	
	क—ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 170 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 2.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 160 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	(3) इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 1.65 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 140 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	ख—शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 130 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु0 215 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा मे स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नही हो जाता है, न्यूनतम राशि रु0 170 /बीएचपी/ माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।	

एल०एम०वी०-६	लघु एवं मध्यम उद्योग	
	क-शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 290 प्रति किवा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	1000 यूनिट/माह तक	रु0 7.30 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	2000 यूनिट/माह तक	रु0 7.40 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	2000 यूनिट/माह से अधिक	रु0 7.90 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
एल०एम०वी०-७	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
एल०एम०वी०-८	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
	ख-ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी०ओ०डी० दर लागू नहीं होगी।
जलकल		
	क-शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 375 प्रति किवा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.60 प्रति यूनिट
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।
राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल		
	(1) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 330 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.50 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 3300 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह

एल0एम0वी0–9	अस्थायी संयोजन	
	(1) मीटर रहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज क. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं ₹0 100 / कि0वा0 / दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए)	₹0 4750 प्रति दिन
	ख. फिक्स्ड चार्जः मेलों / त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. भार तक)	₹0 560 प्रति दिन प्रति दुकान
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	₹0 500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यक्तिगत आवासीय निर्माण हेतु	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹0 8.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	(2) अन्य	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 300 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹0 9.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	₹0 450 प्रति कि0वा0 / सप्ताह
एल0एम0वी0–10	विभागीय उपभोक्ता	
	इस श्रेणी की दरें एल0एम0वी0–1 के अन्य मीटर्ड उपभोक्ताओं की भाँति होगी।	
एल0एम0वी0–11	इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्जिंग	
	1. घरेलू उपभोक्ता	
	एल0एम0वी0–1 से आच्छादित सभी मीटर्ड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्ज करने के लिये अनुमत्य होंगे, बर्षते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
	2. बहुमंजिला इमारत (एल0एम0वी0–1बी एवं एच0वी0–1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)	
	एल. एम. वी– 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज– ₹0 6.20 प्रति यूनिट
	एच. वी. – 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज– ₹0 5.90 प्रति यूनिट

	3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन	
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेषन (एल. टी.)	डिमान्ड चार्ज— शून्य, इनर्जी चार्ज— रु0 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेषन (एच. टी.)	डिमान्ड चार्ज—शून्य, इनर्जी चार्ज—रु0 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	4. अन्य उपभोक्ता	
	अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल0एम0वी0—2 (ए) मीटर्ड, एल0एम0वी0—2 (सी), एल0एम0वी0—4, एल0एम0वी0—6, एल0एम0वी0—7, एल0एम0वी0—8 (मीटर्ड), एल0एम0वी0—9(मीटर्ड), एच0वी0—1, (एल0एम0वी0—1बी एवं एच0वी0—1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों को छोड़कर) एच0वी0—2, एच0वी0—3 और एच0वी0—4) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवध्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, बर्त इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
एच0वी0—1	उद्योग रहित बल्क लोड	
	(क) वाणिज्यिक भार /निजी संस्थान/ गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 430 प्रति के.वी.ए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	
	प्रथम 2500 के0वी0ए0एच0 / माह	रु0 8.32 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के0वी0ए0एच0 / माह से अधिक पर	रु0 8.68 प्रति के.वी.ए.एच
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 400 प्रति के.वी.ए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./ माह तक	रु0 8.12 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के.वी.ए.एच. / माह से अधिक	रु0 8.48 प्रति के.वी.ए.एच
	(ख) सार्वजनिक संस्थान हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 380 / के.वी.ए. / माह
	पर इनर्जी चार्ज -आपूर्ति 11 के.वी	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./ माह तक	रु0 7.70 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के.वी.ए.एच. / माह से अधिक	रु0 7.90 प्रति के.वी.ए.एच
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु0 360 / के.वी.ए. / माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./ माह तक	रु0 7.50 प्रति के.वी.ए.एच.
	2500 के.वी.ए.एच. / माह से अधिक	रु0 7.70 प्रति के.वी.ए.एच.

एच०वी०-२	बडे एवं भारी उद्योग	
	क-शहरी आपूर्ति	
	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति तक	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 290 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.80 प्रति के.वी.ए.एच.
	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.40 प्रति के.वी.ए.एच.
	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 6.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	टाईम ऑफ द डे	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू बेस रेट पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी०ओ०डी० दर लागू नहीं होगी।
एच०वी०-३	रेलवे ट्रेक्षन	
	(क) रेलवे ट्रेक्षन	
	डिमान्ड चार्ज	
	आपूर्ति 132 के.वी. पर, कम एवं अधिक विभव पर	रु0 400 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक	रु0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 132 के.वी. से कम	रु0 8.80 प्रति के.वी.ए.एच

	न्यूनतम चार्ज	रु0 950 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	(ख) मेट्रो रेल	
	डिमाण्ड चार्ज	रु0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु0 7.30 प्रति के.वी.ए.एच
	न्यूनतम चार्ज	रु0 900 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	संविदा भार से अधिक उपभोग पर रु0 540 /के.वी.ए./ माह की दर से जुर्माना लिया जायेगा।	
एच०वी०-४	लिफ्ट इरीगेशन	
(क)	डिमान्ड चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 350 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 340 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 330 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 8.40 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 8.25 प्रति के.वी.ए.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	रु0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

टिप्पणी: उ0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: 812/24-1-21-1307/2020 दिनांक 12.05.2021 द्वारा प्रेषित एल0एम0वी०-५ ग्रामीण मीटर्ड श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग अनमीटर्ड श्रेणी हेतु अनुमोदित दरों पर किये जाने के प्रस्ताव को उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तथापि अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की मीटरिंग, ऊर्जा लेखा के उद्देश्य से एवं उ0प्र0 सरकार की अतिरिक्त साहियिकी के आगणन हेतु की जायेगी।

मा० उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उक्त दरें एवं चार्जेज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से उ0प्र0 सरकार की सभी वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों में स्वतः लागू हो जाएगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें एवं चार्जेज समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट (www.mvvnl.in,www.dvvnl.org, www.puvvnl.up.nic.in, www.pvvnl.org, www.kesco.co.in) तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट (www.uppcl.org) पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष

मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को

‘राष्ट्रहित में बिजली बचायें’